रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240490 CG-DL-E-23112022-240490

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5191] No. 5191] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 22 नवम्बर. 2022

का.आ. 5419(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2280 (ई) दिनांक 18/05/2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 218 के कि.मी.4.40 से कि.मी.56.00(बीजापुर - हुबली खंड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ाई/चार लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15/06/2022 " को "संयुक्त कर्नाटक" और "डेक्कन हेराल्ड डेली" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

7750 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 218 के कि.मी. 4.40 से कि.मी. 56.00 (बीजापुर - हुबली खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का	ानाम: कर्नाटक	जिले का नाम: बागलकोट							
क्र. संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम				
1	2	3	4	5	6				
	तालुक का नाम: बिलगी								
	गांव का नाम: तक्कल्की								
1	30	निजी	वैट्	0.040468	1. नंदबसप्पा कोमरेप्पा कड़कोल 2. नागप्पा कोमरेप्पा कोडकोल (30/1+2+3+4+5/डी)				
			कुल	0.040468					

[फा. सं. NH-218-KNT-2016-17-836/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

S.O. 5419(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 2280(E) dated 18/05/2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc), Maintenance, management and operation of National Highway 218 on the stretch of land from Km 4.40 to Km 56.00 (Bijapur - Hubli Section) in the district of BAGALKOT in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Samyukta Karnataka" and "Deccan Herald daily" both dated 15/06/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 4.40 to Km 56.00 NH218 (Bijapur - Hubli Section) on the National Highway 218 in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: BAGALKOT							
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Bilagi								
	Village: Takkalki								
1	30	Private	Wet	0.040468	1. Nandabasappa Komareppa Kadakol 2. Nagappa Komareppa Kodakol 30/1+2+3+4+5/D				
			TOTAL	0.040468					

[F. No. NH-218-KNT-2016-17-836/3D]

RAJESH GUPTA, Director